



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

2275/1
23-7-14

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2014/राज्य

क्रमांक 184 (सहयोग)/निर्वाचन-2014/अर्द्ध-7871 दिनांक: 16-7-2014

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग।
3. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग।
4. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग।
5. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।
6. राज्य के सभी मण्डल आयुक्त।
7. राज्य में सभी उपायुक्त।
8. राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।

हरियाणा शाखा - 111
दस्तावेज क्रमांक 2371
दिनांक 29/7/14

lw
D-4
22/7/14

M
24/7/14
JPC/1
19/2/2015-14

D/E-11
24/7

bag/RA-11

विषय:- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2014 - सहयोग।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह कहने के निर्देश हुए हैं कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2014 का कार्य इस समय चर्म सीमा पर है जैसा कि आपका विदित है कि चुनाव प्रक्रिया एक जटिल तथा सम्भवतः कार्य है। चुनाव की आगामी दिनों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कृपया भी की जा सकती है।

अतः यह आवश्यक है कि चुनाव सम्बन्धी विभिन्न चरणों में किए गए सभी कार्यों को ध्यानपूर्वक व मुचाकुर रूप से निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाए। चुनाव के प्रोग्राम में कुछ विषय कानूनी प्रावधानों पर आधारित है, जिनका निर्धारित समय में अन्तर-2 पालन करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त चुनाव सम्बन्धी विषय में किसी प्रकार का योग्य सुचारु कार्यक्रम को अमल-व्यस्त कर देगी, जिसके सम्भार परिणाम हा सवाते हैं। अन्य विषय उत्पन्न न होने देने के लिए यह अति आवश्यक है कि हरियाणा राज्य के सभी जिलों द्वारा निर्वाचन विभाग को हर प्रकार से पूर्ण तथा तत्परता से सहयोग दिया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि चुनाव विभाग द्वारा आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों को प्राथमिकता दी जाए तथा जब भी इस विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना आपसे निर्धारित समय में भोगी जाए तो आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी सूचना हर मामले में, वैशेषित अवधि में इस विभाग को अवश्यमव पहुंच जाए। इससे अतिरिक्त आप राज्य में अपने प्रभूत सभी कार्यालय अधिकारियों को निर्देश जारी करके कष्ट करें कि वह सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।



OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICER, HARYANA
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा

का पूर्ण विश्वास है कि चुनाव कार्य में जब कभी भी आपके व्यक्तिगत महारत की आवश्यकता होगी, तो उस समय भी आप अपना सहयोग देगे और चुनाव कार्य में भी यथा सम्भव सहायता करेंगे।

इसके अतिरिक्त आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया आप अपने अधीन सभी सरकारी / अर्ध सरकारी बोर्ड, निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159(1)(2) (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत आते हैं उनकी सेवाओं की चुनाव कार्यों के लिए जब भी सम्बन्धित उपयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मांग की जाए उन्हें तत्काल उपलब्ध करवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा कृपया जो गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र को पावती भेजें।

भवदीय,

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कृत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: 184 (सहयोग)/निर्वाचन-2014/2एई-7272 दिनांक: 16-7-2014

इसकी एक प्रति राज्य में सभी उपयुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

कृत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक: 184 (सहयोग)/निर्वाचन-2014/2एई-7273 दिनांक: 16-7-2014

इसकी एक प्रति राज्य में सभी निर्वाचन तहसीलदारों / निर्वाचन तहसीलदारों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

कृत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

For Internal Distribution:

- 1 PS to CEO
- 1 PA to Adm. CEO
- 3 RKF (with 5 spare copies)

Provided that where at an election held in, accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, a candidate is not elected, the deposit made by him shall be forfeited if he does not get one-sixth of the number of votes prescribed in this behalf as sufficient to secure the return of a candidate.

(5) Notwithstanding anything in sub-sections (2), (3) and (4),—

(a) if at a general election, the candidate is a contesting candidate in more than one parliamentary constituency in more than one assembly constituency, not more than one of the deposits shall be returned, and the others forfeited.

(b) if the candidate is a contesting candidate at an election in more than one council constituency or election in a council constituency and at an election by the members of the State Legislative Assembly or seats in the Legislative Council, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.

159. Staff of certain authorities to be made available for election work.—(1) The authorities specified in section (2) shall, when so requested by a Regional Commissioner appointed under clause (4) of article 324 or the Electoral Officer of the State, make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election.

(2) The following shall be the authorities for the purpose of sub-section (1), namely:—

- (i) every local authority;
- (ii) every university established or incorporated by or under a Central, Provincial or State Act;
- (iii) a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);
- (iv) any other institution, concern or undertaking which is established by or under a Central, Provincial or State Act or which is controlled, or financed wholly or substantially by funds provided, directly or indirectly, by the Central Government or a State Government.]

160. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.—(1) If it appears to the Government that in connection with an election held within the State—

(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or

(b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of an election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election,

that Government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not exceed the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.